



2026:AHC:169798

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 18387 सन् 2026

मनजीत गिरि एवं 4 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता

:- सैयद अली इमाम

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:- जी.ए.

न्यायालय संख्या - 80

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद अली इमाम तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, आवेदक द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि यह आवेदन स्वीकार किया जाए तथा आपराधिक वाद संख्या 684 सन् 2026, जो मुकदमा अपराध संख्या 586 सन् 2025 से उत्पन्न है, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 333, 352, 110 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़, दिनांक 12.11.2025 के आरोप-पत्र तथा दिनांक 30.01.2026 के संज्ञान आदेश सहित, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही खारिज की जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पक्षकार समझौते के सत्यापन हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त समझौता विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा दिनांक 13.05.2026 के आदेश द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि वर्तमान विवाद आवेदक एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 के मध्य व्यक्तिगत मनमुटाव से उत्पन्न होता है। यह भी तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 संबंधित न्यायालय में लंबित विषय को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखता, अतः पक्षकारों के मध्य समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही खारिज की जाए तथा वे प्रति-शपथ-पत्र एवं प्रत्युत्तर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं रखते।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. विद्वान ए.जी.ए. भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों की सत्यता को विवादित नहीं करते।

6. पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर वाद खारिज किए जाने के संबंध में विधि सुस्थापित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एस.सी.सी. 303** में यह अभिनिर्धारित किया है कि "किंतु ऐसे आपराधिक वाद जिनका स्वरूप अत्यधिक एवं प्रमुख रूप से सिविल है, खारिज किए जाने के प्रयोजनों हेतु भिन्न आधार पर स्थित हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी अथवा तत्सदृश लेन-देन से उत्पन्न अपराध अथवा दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक संबंध से उत्पन्न अपराध अथवा पारिवारिक विवाद, जहाँ दोष मूलतः निजी अथवा व्यक्तिगत प्रकृति का हो तथा पक्षकारों ने अपना संपूर्ण विवाद सुलझा लिया हो। वादों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही खारिज कर सकता है यदि उसके मत में, अपराधी एवं पीड़ित के मध्य समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ एवं क्षीण हो तथा आपराधिक वाद का जारी रहना अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न एवं प्रतिकूलता में डाल दे, और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक वाद खारिज न किए जाने से उसके साथ अत्यंत अन्याय होगा।"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं 1 अन्य, (2017) 9 एस.सी.सी. 641** में अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही खारिज करने के व्यापक सिद्धांत इस आधार पर प्रतिपादित किए हैं कि "अशमनीय वादों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही खारिज की जा सकती है, ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाया जा सके तथा अन्य महत्वपूर्ण वादों में उसका उपयोग किया जा सके।"

8. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में अपने मध्य लंबित कार्यवाही वापस लेने पर सहमत हो गए हैं। अभिलेखों के परिशीलन तथा ऊपर उद्धृत विधि से, वर्तमान वाद सम्मन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही खारिज करने हेतु न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए उपयुक्त वाद है।

9. विवाद पूर्णतः व्यक्तिगत प्रकृति का प्रतीत होता है, जो पक्षकारों के मध्य उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ पारस्परिक रूप से निपटा लिया गया है, अतः अभियोजन को और अधिक चलने देने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. खारिज किए जाने हेतु धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान आवेदन, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, क्रिमिनल अपील संख्या 3831 सन् 2025, एस.एल.पी. (सी.आर.एल.) संख्या 11642 सन् 2019, निर्णीत 02.09.2025** में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।

11. उपरोक्त के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 684 सन् 2026, जो मुकदमा अपराध संख्या 586 सन् 2025 से उत्पन्न है, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 333, 352, 110 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना पिलखुवा, जनपद हापुड़, दिनांक 12.11.2025 के आरोप-पत्र तथा दिनांक 30.01.2026 के संज्ञान आदेश सहित, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा खारिज की जाती है।

12. वर्तमान आवेदन तदनुसार **अनुमत** किया जाता है।

(नंद प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति)

12 अगस्त, 2026

आदित्य त्रिपाठी